निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांकः—एफ.2 (ग) (1) अलेसे—I/ दिनांकः 12-4-13

आदेश संख्या 23 /2013—14

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 29 (2ए) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष 2011—12 की सिफारिशों के आधार पर श्री जगदीश प्रसाद प्रजापत (जन्मतिथि 02.03.1955) जिनका चयन उक्त नियमों के अन्तर्गत सहायक लेखाधिकारी के रिक्त पद पर वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर किया गया था, किन्तु इनके द्वारा तत्समय संतान घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण पदोन्नति आदेश जारी नहीं किये गये थे। अब इनके द्वारा वांछित संतान घोषणा पत्र प्रस्तुत कर दिये जाने के कारण इनकी पदोन्नति की जाकर सहायक लेखाधिकारी पद की वेतन श्रंखला (पी.बी.2) 9300—34800 ग्रेड—पे नम्बर 13 (रूपये 4200/—) में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है।

उपर्युक्त लेखाकार पदोन्नति के फलस्वरूप अपने वर्तमान पद पर इस पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकतानुसार (सहायक लेखाधिकारी) क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेगें।

उक्त आदेश वित्त (राजस्व) विभाग राज0 जयपुर के पत्र क्रमांक प.2 (15) वित्त/ राजस्व/2010 दिनांक 30.10.12 के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

निदेशक

क्रमांकः—एफ.2 (ग) (1) अलेसे—I/ 1112-23 दिनांकः 12-4-13

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है —

1. सचिव राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. उपशासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राज0 जयपुर।
3. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सरदार शहर (चूरू)।
4. श्री जगदीश प्रसाद प्रजापत, लेखाकार, कार्यालय— पंचायत समिति, सरदार शहर (चूरू)।
5. निजी सहायक निदेशक महोदया।
6. अलेसे—द्वित्तीय शाखा/ एसीआर शाखा/ निजी पत्रावली/ गार्ड फाईल।
7. पी.ए. (अपनिदेशक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक— I)

F:/Teekam/Satyanarayanji/Request list/Important orders